बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि०/स्था०17–28/2018 /201 /पटना, दिनांकः– 11/07/23

**कार्यालय आदेश**

श्री अनुज कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत), अकबरपुर, नवादा संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, काराकट प्रखंड, रोहतास के विरूद्ध सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्रांक–1223 दिनांक–07.06.2018 के साथ संलग्न जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–403/पंचा० दिनांक–08.05.2018 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–202 सहपठित ज्ञापांक–1096 दिनांक–24.06.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री अनुज कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नवादा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया तथा इस विषय के संबंध में जानकारी रखने वाले पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, नवादा से किया गया। समाहर्त्ता, नवादा का आदेश ज्ञापांक–1828/रा० दिनांक–17.08.2022 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकबरपुर, नवादा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अनुज कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में पंचायत आम चुनाव, 2016 में पुनर्मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया विधिवत् नहीं अपनाने, पुनर्मतगणना हेतु आवश्यक अभिलेखीय कार्रवाई एवं प्रपत्र के संधारण में चूक करने तथा सभी मतदान केन्द्रवार प्रपत्र–20 (भाग–1) में पुनर्मतगणना की विवरणी अंकित नहीं किये जाने तथा सभी मतदान केन्द्रों के मतों को एकमुश्त अभ्यर्थीवार गिनती कर प्रविष्टि करते हुए प्रपत्र–20 (भाग–2) तैयार करने, जो कि नियमानुकूल नहीं है, संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नवादा के पत्रांक–484/रा० दिनांक–10.03.2023 द्वारा श्री अनुज कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न निष्कर्ष दिया है :–

" आरोप निर्वाचन कार्य को लेकर है एवं आरोपित कर्मी के मूल कर्त्तव्य को लेकर नहीं है। निश्चित रूप से विषयगत मामले में निर्दिष्ट सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में निर्धारित कर्त्तव्य के निर्वहन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा चूक हुई है। समरूप मामले में निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारी को उनके विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त कर दिया जाना इस मामले में भी आरोप मुक्ति का आधार नहीं हो सकता है।